Compensation for Damaged Crops

***1344 SH. SHISHPAL SINGH KEHARWALA, M.L.A:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) the total area of Agriculture land of farmers damaged due to the pink caterpillar (sundi) and unseasonal rain in year 2021 in District Sirsa;

b) whether the compensation for damaged crops have been provided to the farmers; if not, the reasons thereof; and

c) whether the said compensation amount is likely to be provided to the labourers working in the said fields togetherwith the details thereof?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

a) Sir, as per report received from Deputy Commissioner Sirsa, crop in a total area of 76782 acres is affected due to the pink caterpillar (Pest attack) and unseasonal rain (water logging) in year 2021 in District Sirsa;

b) In order to assess the actual damage to standing crops of Bajra, Cotton, Mood, Paddy and Sugarcane on account of heavy rain/water logging and pest attack, special girdawari was ordered on 30.09.2021 and on 19.10.2021. Reports of special crop inspection from Hisar Division is awaited. Diecision regarding award of compensation will be taken after report of special crops inspection is received.

c) In case of crop damage, the amount of compensation should be apportioned between the landowner and the tenant in ratio in which crop is shared between the two. In case, a fixed rent is payable by the tenant, the tenant will get the entire amount of admissible compensation. The payment to share croppers and Siris will be made as per their share of crops in the records or as per local customs. The compensation can also be disbursed on the basis of special power of attorney (SPA) available with the Siris/share croppers/tenants etc. As per norms dated 04.06.2019, there is no provision for compensation to the labourers working in the fields.

नष्ट फसलों के लिए मुआवजा

***1344. श्री शीशपाल केहरवाला, एम. एल. ए.:** क्या उप–मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) जिला सिरसा में वर्ष, 2021 में गुलाबी सुण्डी तथा बेमौसमी बरसात के कारण किसानों की कृषि भूमि का कुल कितना क्षेत्र नष्ट हुआ है;

(ख) क्या किसानों को खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा दिया जायेगा; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; तथा

(ग) क्या उक्त खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी उक्त मुआवजा दिया जाएगा तथा इसका ब्यौरा क्या है?

<u>श्री दुष्यंत चौटाला, उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा</u>

श्रीमान जी,

क) उपायुक्त सिरसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला सिरसा में वर्ष, 2021 में गुलाबी सुण्डी (कीट हमले) और बेमौसमी बारिश (जलभराव) के कारण कुल 76782 एकड़ क्षेत्र में फसल प्रभावित हुई है।

ख) बाजरा, कपास, मूंग, धान और गन्ने की खड़ी फसलों को भारी बारिश/जलभराव और कीटों के हमले से हुए वास्तविक नुकसान का आंकलन करने के लिए दिनांक 30–09–2021 व 19–10–2021 को विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किये गये थे। हिसार मण्डल से विशेष फसल निरीक्षण रिपोर्ट अपेक्षित है। विशेष फसल निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हाने उपरान्त मुआवजा देने बारे निर्णय लिया जायेगा।

ग) फसल को नुकसान होने की स्थिति में मुआवजे की राशि का बंटवारा जमीदार और काश्तकार के बीच फसल के बंटवारे के हिसाब से किया जायेगा। यदि काश्तकार द्वारा एक निश्चित किराया देय है, तो काश्तकार को स्वीकार्य मुआवजे की पूरी राशि मिल जायेगी। बटाईदारों एव सिरियों का भुगतान रिकार्ड में उनकी फसल के हिस्से के अनुसार अथवा स्थानीय रिति–रिवाजों के अनुसार किया जायेगा। मुआवजे का वितरण सिरियों/बंटाईदारों/किरायेदारों के पास उपलब्ध मुख्तानामा के आधार पर किया जा सकता है। दिनांक 04–06–2019 के हिदायतों के अनुसार खेतों में काम करने वाले मजदूरों का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।